



BULANDSHAHR POLICE



दिनांक 21 अगस्त, 2024

"ऑपरेशन कन्विकशन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 26,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी:-

अवगत कराना है कि अभियुक्त अमित पुत्र प्रहलाद सिंह निवासी मौ0 पाठक कस्बा व थाना जहांगीराबाद जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2014 में थाना जहांगीराबाद क्षेत्र निवासी एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 03.06.2014 को थाना जहांगीराबाद पर मुअसं - 207/14 धारा 452/376/506 भादवि व 4 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 13.11.2014 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विकशन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 07 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 21.08.2024 को न्यायाधीश श्री तरूण कुमार सिंह (मा0 न्यायालय एडीजे स्पेशल पॉक्सो एक्ट जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त अमित को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 26,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री सुनील शर्मा, श्री महेश राघव सिंह का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सैल बुलन्दशहर ।